कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9020/2021 उम्मेद सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वर्तमान में याचिकार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शेरड़ा, जिला–हनुमानगढ़ में कार्यरत है। याचिकार्थी को दिनांक 21.09.2016 को मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित के नाते कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुयी थी। याचिकार्थी के कथनानुसार विभाग द्वारा याचिकार्थी को अध्यापक ग्रेड–III पे–3600 के पद पर नियुक्ति नहीं दी गयी जो कि विधि अन्तर्गत नहीं है। अतः याचिकार्थी ने व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की जिसके क्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। कार्मिक (क–2) विभाग के राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक–प. 12(7)कार्मिक/क–2/2014 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को विभाग के ग्रेड वेतन संख्या 1 से 10(रूपये 1300/–से 2800/–) तक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले किसी भी रिक्त पद पर, जिसके लिए वह पात्र हो, नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है। अतः कार्मिक विभाग को आवेदन पत्र उसी स्थिति में अग्रेषित किया जाना चाहिये जबकि विभाग में उसकी योग्यता के अनुरूप ग्रेड वेतन संख्या 1 से 10(रूपये 1300/–से 2800/–) तक का कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो, जिसके लिये आवेदक पात्र हो।

कार्मिक (क–2) विभाग के राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक–एफ. 5(5)कार्मिक/क–2/88 दिनांक 2.08. 2001 के द्वारा राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 में वर्णित प्रावधानो में नियम 6 के विद्यमान उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थातः– "परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसका अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के दौरान वध हो जाता है, उसके आश्रित की शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए तथा कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति से वेतनमान संख्या 10 से 11 में आने वाले सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए तात्पर्यित पद पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकेगा।"

कार्मिक (क–2) विभाग के राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक–एफ. 5(51)डीओपी/ए–II/88 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.07.2019 के द्वारा राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 6 का संशोधन (1) उप नियम 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ग्रेड वेतन सं. 1 से 10 (रु. 1300 से 2800/–)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पे–मैट्रिक्स में लेवल–1 से लेवल–9" प्रतिस्थापित की जायेगी, और (2) उप नियम 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 (रु. 3200 से 3600/–)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पे–मैट्रिक्स में लेवल–10 से लेवल–11" प्रतिस्थापित की जायेगी।

याचिकार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति दिए जाने के संबंध में यह निर्देश प्रदान किये गये कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में ग्रेड–पे संख्या 10– 2800/– रूपये तक सम्बन्धित पदों पर ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान बतलाते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापक का दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे संख्या 10 के स्थान पर 11 संशोधित करते हुए ग्रेड–पे 3600/–रूपये कर दिए जाने से मृतक आश्रितों को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित के नाते मात्र अध्यापक पद की योग्यता रखने मात्र से याचिकार्थी अध्यापक तृतीय श्रेणी पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन जाता है। मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को सम्बन्धित नियमों में वर्णित पद की सीमा के अनुरूप ही नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्तानुसार वर्णित स्थिति एवं राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार अध्यापक तृतीय श्रेणी पद की ग्रेड पे 3600 होने के कारण नियमानुसार नियुक्ति अनुज्ञेय नहीं बनती है, क्योंकि उक्त नियम के तहत ग्रेड पे 2800 तक के पदो पर ही नियुक्ति अनुज्ञेय की जा सकती है। अतः याचिकार्थी द्वारा मृत राज्य कर्मचारी आश्रित के नाते अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिए जाने सम्बन्धी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकर योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13213/2021 दिनांक 24|01|22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, हनुमानगढ़
2 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जोधपुर
3 उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा के पत्रांक शिविरा/मा./विधि/बी–2/जोध/नि0/29856/एल/2021/2 दिनांक 29.09.2021 के क्रम में
4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5 संबंधित याचिकार्थी उम्मेद सिंह, कनिष्ठ सहायक राउमावि, शेरड़ा, जिला–हनुमानगढ़(रजिस्टर्ड)
6 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते